राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना 800 014

राज्य के सभी 38 जिलों के विभिन्न उपकेन्द्रों में संविदा/मानेदय के आधार पर मात्र आरक्षित कोटा के अर्न्तगत ए०एन०एम० की चयन हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिषन के तहत् प्रत्येक स्वास्थ्य उपकेन्द्र में दो ए०एन०एम० की चयन की जानी है। पूर्व में प्रकाशित दो विज्ञापनों के उपरांत भी आरक्षित कोटा के अर्न्तगत ये रिक्तियाँ है। इन रिक्तियों के विरूद्ध वर्त्तमान आवष्यकता की पूर्ति हेतु सरकार द्वारा संविदा के आधार पर मात्र आरक्षित कोटा के ए०एन०एम० का चयन किया जाएगा। विज्ञापन के अधार पर मात्र OBC/MBC/SC/ST/BC (f)/ MBC (f)/Physically Handicapped श्रेणी के आवेदिका/आवेदक आवेदन दे सकते हैं।

योग्यता : ● सरकारी या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त गैर–सरकारी ए०एन०एम० प्रषिक्षण संस्थान से ए०एन०एम० प्रषिक्षण प्राप्त। ● बिहार परिचारिका निबंधन परिषद् से निबंधित। ● अन्य राज्यों के प्रषिक्षित ए०एन०एम० भी आवेदन भर सकती है, बषर्ते स्थानीय परिचारिका निबंधन परिषद से निबंधित हो तथा बिहार में चयनित होने क पश्चात् बिहार परिचारिका निबंधन परिषद् से निबंधन करा लें।

मानेदय : एकमुष्त मानेदय 6,000/– रुपये प्रतिमाह।

आयु सीमा : न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 64 वर्ष (गणना दिनांक 31.10.2008 के आधार पर)।

चयन की प्रक्रिया : ए०एन०एम० का चयन जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा गठित चयन समिति द्वारा किया जायगा। ● जिला में ए०एन०एम० के नियुक्ति पदाधिकारी, सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति होंगे। ● नियुक्ति मे आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा। जिलावार रोस्टर संधारण किया जायेग। रोस्टर का अनुमोदन जिला पदाधिकारी देंगें। ● संविदा एक वर्ष के लिए अनुमान्य होगी। ● संविदा के आधार पर अनुबंधित ए०एन०एम० को एक माह की नोटिस अथवा एक माह का मानदेय देकर अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है। ● चयनित एवं अनुबंधित उम्मीद्वार को इन आषय का Indemnity Bond भरना अनिवार्य होगा कि वे नियमित नियुक्ति का दावा नही करेंगें। ● मैट्रीक प्राप्तंक के आधार पर रोस्टर वार रिक्त पदो के आधार पर मेघा सूची तैयार की जाएगी। रिक्तियों के आधार पर मेघा सूची से नियुक्ति की जायेगी। मेघा सूची में नीचे बचे हुए अभ्यार्थियों को पैनल में रखा जाएगा जो कि 31.10.2009 तक प्रभावी होगा, इस दौरान जैसे–जैसे रिक्तियाँ होती जायेगी वैसे – वैसे पैनल से अभ्यार्थियों की नियुक्ति होगी। ● पूर्व से संविदा/मानदेय के आधार पर नियुक्त ए०एन०एम० (आर०) किसी भी स्थिति में इस विज्ञापन के आलोक में दूसरे जिले के लिए आवेदन नही देंगें।

आवेदन एवं मूल कागजातो की जाँच : दिनांक 10.11.2008 को सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव (जिस जिले के लिए आवेदन किया गया है) के समक्ष मूल अभिलेखों के जाँच हेतू मूल अभिलेख एवं दो अभिप्रमाणित फोटो के साथ **आवेदक को स्वयं उपस्थित होना है।**

नोट :– यह किसी प्रकार की सरकारी सेवा नहीं है, न ही इसके आधार पर भविष्य में सरकारी सेवा का दावा किया जा सकता है।

कार्यपालक निदेशक